उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–2133/दस-904-78

लखनऊ, दिनांक, 29 दिसम्बर, 1980

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (नवां संशोधन) विनियमावली, 1980

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1––(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (नवां संशोधन) विनियमावली, 1980 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2–– उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में, अनुच्छेद 351-ए का संशोधन ।

अनुच्छेद 351-ए में, खण्ड (सी) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्––

"परन्तु यह और कि यदि राज्यपाल द्वारा दिया गया आदेश उत्तर प्रदेश अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनाधिकरण) नियमावली, 1947 के अधीन निपटाये गये मामले से संबंधित हो तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।"

आज्ञा से,
आर० के० दर,
वित्त सचिव ।

टिप्पणी:––उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन के लिये अंगीकृत सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स (भाग–1, 4 और 10) प्रथम संस्करण, नामक हैण्डबुक 30 अप्रैल, 1970 तक यथा संशोधित प्रकाशित किया गया था । बाद में निम्नलिखित संशोधन किये गये––

(1) अधिसूचना संख्या जी-3–1932/दस-915/73, दिनांक 1 नवम्बर, 1973

(2) अधिसूचना संख्या-जी–3-1752/दस-914/73, दिनांक 13 नवम्बर, 1973

(3) अधिसूचना संख्या जी-3–234/दस-904 (1)-62, दिनांक 7 अक्तूबर, 1974

(4) अधिसूचना संख्या जी-3-754/दस-917-74, दिनांक 11 जून, 1975

(5) अधिसूचना संख्या सा-3–3159/दस-904(9)/60, दिनांक 6 अक्तूबर 1975

(6) अधिसूचना संख्या सा-3–1476/76-दस-52/74, दिनांक 5 जून, 1976

(7) अधिसूचना संख्या सा-3–1928/दस-908/70, दिनांक 8 अक्तूबर, 1976

(8) अधिसूचना संख्या सा-3–565/दस-912(3)/74, दिनांक 20 अप्रैल, 1977

संख्या सा-3-2133(1)/दस-904/78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

2--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

4--विधायिका अनुभाग-1 (दोनों हिन्दी तथा अंग्रेजी) दो-दो प्रतियां ।

आज्ञा से,
राधा रमन सिकरोरिया,
अनु सचिव ।

संख्या सा-3-2133 (2)/दस-904/78 तद्दिनांक

प्रतिलिपिअंग्रेजी रूपान्तर सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी गजट के अगले संस्करण में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
राधा रमन सिकरोरिया,
अनु सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. G-3—2133/X—904/78, dated December 29, 1980:

NOTIFICATION

No. G-3—2133/X—904/78

Dated Lucknow, December 29, 1980.

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following Regulations with a view to amending the Civil Service Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh :

THE UTTAR PRADESH CIVIL SERVICE (NINTH AMENDMENT) REGULATIONS, 1980

Short title and commencement

1. (1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Civil Service (Ninth Amendment) Regulations, 1980.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *gazette*.

Amendment of Article 351-A.

2. In the Civil Service Regulations as adopted in their application to Uttar Pradesh, in Article 351-A, after clause (*c*), the following proviso shall be *inserted*, namely.

"Provided further that if the order passed by the Governor relates to a case dealt with under the Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947, it shall not be necessary to consult the Public Service Commission."

By order,

R. K. DAR,

Vitta Sachiv.

NOTE—The hand book captioned Civil Service Regulations (Parts I, IV and X) as adopted for application in Uttar Pradesh (First Edition) was published as corrected upto April 30, 1970. The following amendments were made subsequently:—

(1) Notification No. G-3—1932/X-915-73, dated November 1, 1973.
(2) Notification No. G-3—1732/X-914-73, dated November 13, 1973.
(3) Notification No. G-3—234/X-904(1)-62, dated October 7, 1974.
(4) Notification No. G-3—754/X-917-74, dated June 11, 1975.
(5) Notification No. G-3—3159/X-904(9)/60, dated October 6, 1975.
(6) Notification No. G-3—1476/76-X-52/74, dated June 5, 1976.
(7) Notification No. G-3—1928/X-908/70, dated October 8, 1976.
(8) Notification No. G-3—565/X-912(3)/74, dated April 20, 1977.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 58 सा० (भाषा)—3-1-81—(3206)—1981—10,000 (मे०)।